न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 64 (GCMS:2017/00333) दायर दिनांक : 05.05.2017

1. मम्मे खां पुत्र गलाम खां जाति मुसलमान उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. शरीफा बेवा सोहणे खां
2. नेकमोहम्मद पुत्र सोहणे खां
3. मु. नेका पुत्री सोहणे खां पत्नी रहमत अली
4. लालसैन पुत्री सोहणे खां पत्नी मुन्सफ अली
5. शेरमोहम्मद पुत्र सोहणे खां

अकवाम मुसलमान नि.ढ़ाबां झालार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

6. हुसैन खां पुत्र सदीक जाति लुहार मुसलमान निवासी ठुकराना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

....**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.1955

उपस्थितः

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राकेश सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 09/10/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, संक्षिप्त विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत कर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ के खसरा नम्बर 185 में 34.00 बीघा भूमि का दस साला आवंटन किया गया जिसकी पास बुक भी जारी की गई। इसी अनुसार प्रार्थी खसरा न. 185 के उत्तर दिशा की भूमि पर कब्जा प्राप्त कर भूमि को सुधार कर काबिल काश्त किया जो कि विशिष्ट रूप से खसरा न. 185/1 में दर्शाई गई, प्रार्थी निरन्तर उक्त भूमि पर काश्त करता आ रहा है प्रार्थी वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 185/185/1 से नये बने खसरा नम्बर 594/185 की 8.602 है. बारानी भूमि पर काबिज है जो कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 रोही ठुकराना के खाता सं. 330 नया 570 पुराना खसरा नम्बर 594/185 में 8.602 है. भूमि का खातेदार प्रार्थी मम्मा पुत्र गुलाम अंकित काश्तकार है जमाबंदी प्रार्थना पत्र के संलग्न है। प्रार्थी की भूमि में अप्रार्थीगण शरीफां वगै. जबरन कब्जा करने की फिराक में है जिन्हें बजरिये निषेधाज्ञा ता फैसला वाद प्रार्थी के कब्जा में मदाखलत न करने हेतू पाबंद करने हेतू निवेदन किया प्रार्थी को इकतरफा सुनकर दिनांक 05.05.2017 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं आगामी तारीख पेशी तक के लिये स्थगन विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रदान किया गया।

क्रमशः पेज 2 पर.....

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 16:51:05 IST
Reason: SelfAttested

बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये व जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी को रोही ठुकराना के खसरा नम्बर 185/1 में 34.00 बीघा रकबा कब दस साला आवंटन हुआ इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। खसरा नम्बर 185/1 में कुल 13.00 बीघा भूमि ही थी जिसका नवीन खसरा नम्बर 596/185 बना है जिसमें 3.289 है. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी हुसैन के नाम अंकित है प्रार्थी का रोही ठुकराना के खसरा नम्बर 185/1 की भूमि पर कतई कब्जा नहीं रहा है ओर ना ही इस खसरा से खसरा नम्बर 594/185 बना है। कब्जा ना होने के कारण प्रार्थी स्थगन का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

पक्षकारान का जवाब आने पर तर्क सुने गये प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 रोही ठुकराना खाता सं. 330 वर्तमान 570 पुराना में खसरा नम्बर 594/185 के 8.602 है. भूमि का प्रार्थी मम्मा पुत्र गुलाम खातेदार कृषक है प्रार्थना पत्र में वर्णनानुसार प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज है अंकित काश्तकार अपने अंकित भूमि पर काबिज है ओर किसी सम्भावित अतिचारी के विरूद्ध सुरक्षा पाने का अधिकारी है अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार कृषक ना हो दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी के हक में है जिसे दस्तावेज के आधार पर ही झुठलाया जा सकता है ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. के विरोध में कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस अवस्था में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को मानते हुए व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना बताते हुए सुविधा व संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता, प्रार्थी ने आवंटन का कोई सबूत पेश नहीं किया है व ना ही मौका पर उसका कब्जा है, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र में बताये गये स्थान पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार कृषक दर्ज नहीं है अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र स्थगन में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी को सीमा ज्ञान करवाया गया है जिसकी चित्र प्रति प्रस्तुत है उसी अनुसार कब्जा काश्त है प्रार्थी का बताये गये स्थान पर कब्जा ना होने से प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है जिसे निरस्त करने की प्रार्थना की गइ।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात पत्रावली का ध्यान पूर्वक तर्कों के परिपेक्ष्य में अवलोकन किया एवं पाया कि प्रार्थी वर्तमान में मुताबिक जमाबंदी ग्राम ठुकराना सम्वत् 2069 ता 72 खाता सं. 330/570 के खसरा नम्बर

क्रमशः पेज 3 पर.....

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 16:51:05 IST
Reason: SelfAttested

594/185 की 8.602 है. भूमि का खातेदार कृषक स्पष्ट रूप से अंकित है एवं अप्रार्थीगण 596/185 के 12.650 है. भूमि के खातेदार कृषक है दोनों का खाता एवं खसरा नम्बर भिन्न भिन्न है अंकन से स्पष्ट है दोनों खसरा नम्बर का नक्शा भी भिन्न भिन्न होने की सोच दस्तावेजी रिकॉर्ड से सिद्ध होती है, अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ओर ना ही प्रार्थी के शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिये प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना पाया जाता है, सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो प्रार्थी के नाम की रोही ठुकराना तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खाता सं. 330/570 में अंकित खसरा नम्बर 594/185 में 8.602 है. बारानी भूमि जिस पर वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा है उसमें अप्रार्थीगण ता फैसला वाद किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें एवं मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे।

हुक्म सुनाया गया बाद तरतीब तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो, निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 16:51:05 IST
Reason: SelfAttested